

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-316/2024 दिनांक 10.11.2024)

दिनांक-10.11.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा छेड़खानी, अभद्रता आदि के मामले में 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09.11.2024 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 330/2024 धारा 126(2)/115(2)/352/351(3)/74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों 1-रुस्तम पुत्र हासिम, 2-अरबाज पुत्र हासिम, 3-मुस्सलम पुत्र हासिम, 4-मुस्तफा पुत्र हासिम, 5-सगीर पुत्र हजरत निवासीगण डिबनी बंजरवा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 330/2024 धारा 126(2)/115(2)/352/351(3)/74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-रुस्तम पुत्र हासिम निवासी डिबनी बंजरवा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2-अरबाज पुत्र हासिम निवासी डिबनी बंजरवा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 3-मुस्सलम पुत्र हासिम निवासी डिबनी बंजरवा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 4-मुस्तफा पुत्र हासिम निवासी डिबनी बंजरवा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 5-सगीर पुत्र हजरत निवासी डिबनी बंजरवा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 अमित कुमार शर्मा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2-व0उ0नि0 दिनेश साहनी थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 राजकपूर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 4-उ0नि0 नवनीत राय थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 5-हे0का0 कमलेश कुमार थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गो-तस्करी गैंग का पर्दाफाश, एक पीकप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 06 राशि गोवंश, एक वैगनार कार व 03 मो0सा0 के साथ 04 शातिर गोतस्करों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में गोवंशीय पशु तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.11.2024 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 04 नफर शातिर गोतस्करों को एक अदद वैगनार कार, 03 अदद मो0सा0 व एक अदद पीकअप वाहन पर 06 राशि गोवंशीय पशु को क्रूरता पूर्वक बाध कर वध हेतु ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका

पूछ-ताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि वे लोग चार पहिया वाहन पर क्रूरता पूर्वक गोवंशीय पशु को बाध कर वध हेतु ले जाते हैं तथा आगे आगे चार पहिया/दो पहिया वाहनों से पशु तस्करी वाहन को पुलिस से बचाने हेतु रेकी कर सूचना देने का काम करते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 348/2024 धारा 109 बीएनएस 3/5A/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0

बरामदगी का विवरण-

- 1- 06 राशि गोवंश
- 2- एक अदद पीकप वाहन
- 3- 03 अदद मोटरसाइकिल
- 4- एक अदद वैगनार कार

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. आरिफ अली उर्फ गोलू पुत्र रिजवानुल्लाह सा0 निरायनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया
02. आदित्य चौहान पुत्र रविन्द्र चौहान नि0 नरायनपुर थाना तरकुलवा देवरिया
03. विकास यादव पुत्र सिहांसन यादव नि0 नरायनपुर थाना तरकुलवा देवरिया
04. ईश्वर प्रसाद पुत्र हरिकेश प्रसाद सा0 नरायनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया

अभियुक्त आरिफ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 50/16 धारा 323/506/498ए भादवि ¾ डीपी एक्ट तरकुलवा देवरिया
02. मु0अ0सं0 86/24 धारा 307/147/148/323 भादवि थाना तरकुलवा देवरिया
03. मु0अ0सं0 230/16 धारा 60 आब0 अधि0 272/273 भादवि थाना तरकुलवा देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 संजय कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर मय टीम
- 2-उ0नि0 जितेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी मधुरिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 कैलाश यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 4-उ0नि0 सभाजीत सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 43नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-04 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-39, व्यक्ति-131
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(09)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-52)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर